जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 31 मई 2021

भाग-3

राज्य सरकार के आदेश से राजस्थान संवाद वसूल रहा है 15% की कट मनी!!!

लेकिन सूचना के अधिकार से काट रहा कन्नी!!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

37

RAJBIL/2000/1717

सत्यमेव जयते	**राजस्थान राज–पत्र** विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 13, शनिवार, शाके 1923—फरवरी 2, 2002	*Magha 13, Saturday, Saka 1923—February 2, 2002*

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

राजस्थान संवाद

विधान

जयपुर, फरवरी 1, 2002

संख्या एफ. 6(2) गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको 2001:– 1. संस्था का नाम:–इस संस्था का नाम ''राजस्थान संवाद'' होगा ।

2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय: –संस्था का पंजीकृत कार्यालय ''सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर के कार्यालय परिसर में स्थित होगा ।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र:–संस्था का कार्य क्षेत्र ...

... होंगे:–

(1) सामाचार पत्र/पत्रिकाओं का प्रकाशन

(2) राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, पंचायत राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, राज्य के विश्वविद्यालयों (सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को छोड़ कर) एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं की जन कल्याणकारी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए पूरक प्रकाशन एवं अन्य सामग्री का उत्पादन एवं वितरण ।

(3) राज्य सरकार एवं राजकीय उपक्रम तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं के सजावटी विज्ञापनों का उत्पादन एवं उनका वितरण ।

(4) शासन एवं संबद्ध संस्थाओं के लिए इलेक्ट्रोनिक व मुद्रित माध्यम की प्रचार-प्रसार की सामग्री का निर्माण/उत्पादन ।

(5) उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे समस्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा वांछनीय, आवश्यक माना जावे ।

5. संस्था का गठन एवं सदस्यता:–संस्था का गठन निम्नानुसार होगा एवं उसके निम्न सदस्य होंगे:–

(1) मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार;

(2) सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार;

(3) शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार;

(4) शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार;

(5) मुख्य मंत्री के प्रेस सलाहकार;

(6) शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार;

(7) शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार;

(8) शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार;

(9) शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार;

(10) निदेशक, सूचना शिक्षा संचार संस्थान (आई.ई.सी.) राजस्थान सरकार;

जब राजस्थान संवाद का गठन गज़ट नोटिफिकेशन द्वारा,तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे मे क्यूँ नहीं??

(11) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार;

(12) प्रबन्ध संचालक, राजस्थान संवाद ;

(13) अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क ।

6. **साधारण सभा तथा उसके अधिकार एवं कर्त्तव्य:**–नियम-5 में वर्णित सभी सदस्य संस्था की साधारण सभा के सदस्य होंगे:-

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-

(1) संस्था का प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार करना ।

(2) संस्था की नीतियों एवं कार्यों की प्रगति पर विचार करना तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव देना ।

(3) संस्था के लेखों की जांच के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति करना ।

(4) अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षित प्रतिवेदन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना ।

(5) संस्था का बजट अनुदान स्वीकार करना ।

(6) राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन पूर्व की तरह सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से ही जारी होंगे एवं सजावटी विज्ञापन इस संस्था द्वारा जारी किये जायेंगे ।

(7) [illegible] किया जाये ।

(8) अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें ।

(9) इस संस्था का कार्य न लाभ न हानि के आधार पर होगा । अगर संस्था लाभ अर्जित करती है तो उस राशि का उपयोग पत्रकारों के कल्याण पर भी किया जावेगा ।

7. साधारण सभा की बैठक:-

(1) साधारण सभा की बैठक, संस्था के अध्यक्ष की सहमति से प्रबंध समिति द्वारा निश्चित् तिथि समय एवं स्थान पर बुलाई जाएगी ।

(2) वर्ष में कम से कम एक बैठक बुलाई जाना आवश्यक होगी, जिसे वार्षिक बैठक कहा जाएगा ।

(3) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।

(4) साधारण सभा के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे ।

8. **प्रबंध समिति:**–संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध समिति निम्नानुसार गठित होगी:–

(1)	सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री/राज्य मंत्री	अध्यक्ष
(2)	शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	उपाध्यक्ष
(3)	शासन सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो ।	सदस्य
(4)	निदेशक, सूचना, शिक्षा, संचार संस्थान (आई.ई.सी.)	सदस्य
(5)	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	प्रबन्ध संचालक सह सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

9. **प्रबन्ध समिति के अधिकार:**–संस्था के समस्त अधिकार उसकी प्रबंध समिति में निहित होंगे ।

10. **पदाधिकारी:**–

(1) अध्यक्ष-मुख्य मंत्री, राजस्थान संस्था के अध्यक्ष होंगे।

(2) प्रबंध संचालक:- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क संस्था के प्रबंध संचालक होंगे तथा साधारण सभा के सचिव भी होंगे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

11. संस्था का कोष:- संस्था का कोष निम्न राशि से बनेगा।

(1) राज्य शासन से प्राप्त अनुदान।

(2) विज्ञापनों के प्रकाशन/प्रसारण/निर्माण/उत्पादन एवं सेवा शुल्क से आय।

(3) मुद्रण की व्यवस्था से प्राप्त राशि।

(4) इलेक्ट्रोनिक प्रचार सामग्री के निर्माण से प्राप्त राशि।

12. उक्त संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा प्रबन्ध संचालक के हस्ताक्षर से बैंक में लेन-देन सम्भव होगा।

13. संस्था के लेखे:-

(अ) संस्था के लेखे प्रति वर्ष 31 मार्च को बन्द कर दिये जायेंगे।

(ब) संस्था के लाभ-हानि व लैन-देन व्यापारिक लेखा पद्धति द्वारा तैयार किये जायेंगे।

14. संस्था का वार्षिक लेखा जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायेगा तथा वह दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखेगा।

15. साधारण सभा संस्था के कार्य संचालन के लिए विनियम बना सकेगी। इस विधान के नियमों में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्धन या रद्दकरण अथवा नये नियम या उपनियम का बनाना साधारण सभा की बैठक में दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होने पर एवं राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयक द्वारा स्वीकृत होने पर ही किया जा सकेगा और वह प्रभावशाली तब होगा जब उस पर पंजीयक फर्म एवं सोसायटी द्वारा अनुमोदन कर दिया जायेगा।

16. संस्था एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी समस्त चल एवं अचल संपत्ति पर राजस्थान शासन का अधिकार होगा।

17. ऐसे सभी विषयों का निर्णय जिनका इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं है, राजस्थान सरकार के नियमों व्यवस्था अथवा स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा।

18. संस्था के कार्य संचालन के लिए शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए प्रबन्ध समिति राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग या अन्य विभाग से निवेदन करेगी।

19. संस्था के स्टाफ को तनख्वाह व अन्य देय भत्तों आदि की राशि उसकी गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

20. गतिविधियों के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उन्हें बाजार से लिया जाकर कार्य के अनुसार (job basis) भुगतान किया जावेगा।

21. राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार अथवा भावी भार न आवे, इसके लिए सेवा नियमों व वेतनमान आदि की प्रक्रिया सरकारी तौर तरीकों से हटकर रखी जावेगी।

22. विघटन : संस्था का विघटन राज्य शासन द्वारा अथवा साधारण सभा में तीन-चौथाई बहुमत से किया जा सकेगा। विघटन की कार्यवाही राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
हस्ताक्षर अपठनीय,
उप शासन सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

दिनांक : 20.1.2003

क्रमांक : 266-345
समस्त प्रमुख/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष
समस्त निगम/बोर्ड/ स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

समस्त सरकार विभागों/ निगम/बोर्ड एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के सजावटी विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संवाद नामक संस्था का गठन किया गया। संस्था के गठन के पश्चात् समस्त सजावटी विज्ञापन इसके माध्यम से ही किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15.11.2002 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि समस्त प्रकार के सजावटी विज्ञापन 1 दिसम्बर, 2002 से केवल संवाद के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। निर्णय से अवगत भी करा दिया गया था।

ध्यान में लाया गया है कि इस निर्णय के पश्चात् भी कई विभागों/संस्थानों द्वारा सीधे ही विभिन्न सामाचार पत्रों को सजावटी विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं। अत: निर्देश दिये जाते हैं कि 1 दिसम्बर, 2002 से जिन विभागों/संस्थानों द्वारा सीधे ही सजावटी विज्ञापन जारी किये गये हैं, उन्हें निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। भविष्य में जो भी सजावटी विज्ञापन जारी किये जाये वे राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जायें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जायेगी।

इस सम्बन्ध में यह भी लेख है कि वित्त विभाग द्वारा 11 नवम्बर, 2002 को मित्तव्ययता का परिपत्र जारी कर खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसमें सजावटी विज्ञापन जारी करने के लिये छूट नहीं दी गई है। इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जाये।

Sd
(आर.के. नायर)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मन्त्रीगण।

शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क

राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों को राजस्थान संवाद के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के दिये गए आदेश

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : ई.एन.जी./2742-2850 दिनांक : 28.9.2010

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष।

परिपत्र

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के परिपत्र संख्या : 1634-1742 दिनांक 7.10.2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया को जारी होने वाली समस्त विज्ञापन/प्रसारण सामग्री का अनुमोदन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय से कराया जाये और अनुमोदन के पश्चात ही उन्हें विभिन्न प्रसारण माध्यमों को जारी किया जाये। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया था कि राज्यसरकार के निर्णय के अनुसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में जारी होने वाले समस्त विज्ञापन या प्रकाशन-प्रसारण सामग्री केवल **'राजस्थान संवाद'** के माध्यम से ही जारी की जाये।

कई बार यह देखने में आयाहै कि कई राजकीय विभागों एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी, विभिन्न सैटेलाइट चैनल्स, एमएसओ एवं एफएम रेडियो आदि पर अपने स्तर पर सीधे ही विज्ञापन एवं प्रसारण सामग्री जारी की जाती है और प्रसारण सामग्री का अनुमोदन भी सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशायल से नहीं कराया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देश एवं उक्त परिपत्र का उल्लंघन है जो कि अवांछनीय है।

अत: पुन: स्पष्ट किया जाता है कि प्रिनट मीडिया के लिए जारी होने वाले समस्त सजावटी विज्ञापन और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए जारी होने वाली समस्त प्रसारण समाग्री केवल **'राजस्थान संवाद'** के माध्यम से ही जारी कराने की व्यवस्था की जाये और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए जारी होने वाली सामग्री का पूर्व अनुमोदन भी सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय से कराने की व्यवस्था की जाये।

कृपया अपने स्तर पर उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने का श्रम करें।

प्रमुख शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :
1. सम्बन्धित विभागों/संस्थानों के वित्तीय सलाहकार/ मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी।
2. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान सरकार।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों को राजस्थान संवाद के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के दिये गए आदेश

जवाब मांगते सवाल?

- जिस संस्था का गठन राज्य सरकार के आदेश से हुआ है क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?
- जिस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ही बिना किराये के राज्य के सचिवालय मे चल रहा हो, तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?
- जिस संस्था का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री हो और अन्य सदस्यों मे सूचना एवं जन संपर्क मंत्री,शासन सचिव सूचना एवं जन संपर्क विभाग,शासन सचिव वित्त विभाग,मुख्य मंत्री का प्रैस सलाहकार,शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग,शासन सचिव शिक्षा विभाग,शासन सचिव राजकीय उपक्रम विभाग,निदेशक(आईईसी),निदेशक,सूचना एवं जन संपर्क विभाग,प्रबंध संचालक,राजस्थान संवाद,अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग सम्मिलित हो,तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?

- जिस संस्था को राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों,निगमों,बोर्डों,पंचायत राज संस्थाओं,सहकारी संस्थाओं,राज्य के विश्व विद्यायालयों एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा जारी सजावटी और वर्गीकृत विज्ञापनों को जारी भुगतान मे से 15 प्रतिशत की कटौती करने का अधिकार दिया गया हो तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?
- जिस संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति पर राजस्थान शासन का अधिकार हो,तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?

- राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गज़ट नोटिफिकेशन मे बताए गए नियमों के अलावा यदि अन्य विषयों का निर्णय राज्य सरकार के नियमों,व्यवस्था अथवा स्वीकृति से किया जाए,तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?

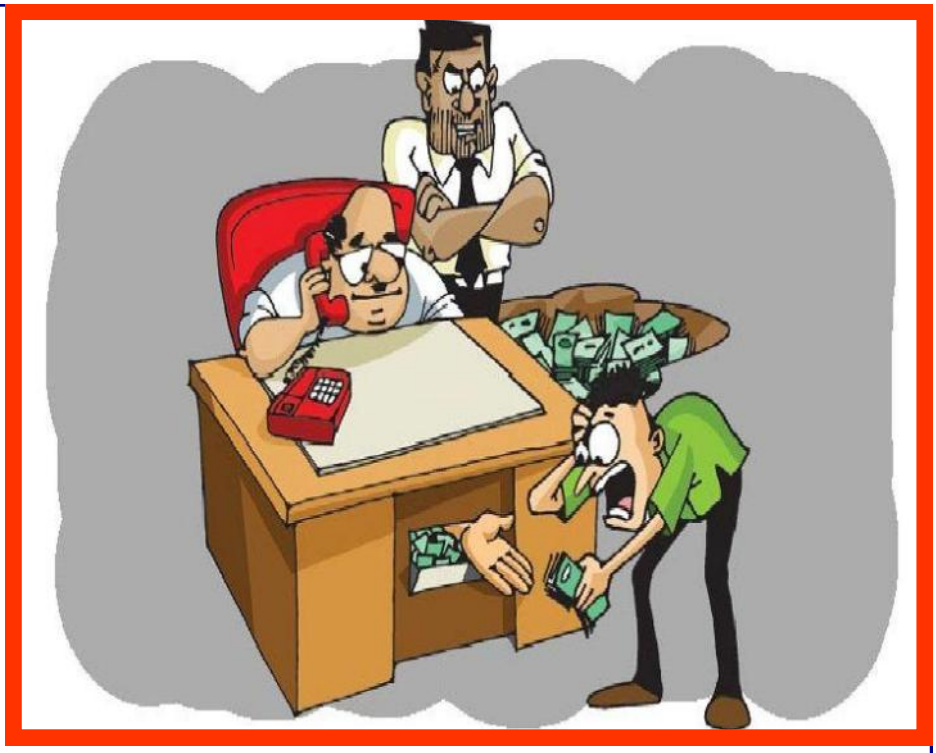

- जिस संस्था के कार्य संचालन के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारियों//कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग से निवेदन करना पड़े,तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?
- जिस संस्था मे प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों//कर्मचारियों को यदि उनकी मूल तंख्वाह का 10 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाए,तो क्या वह संस्था सूचना के अधिकार के दायरे मे नहीं आएगी?
- जब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सूचना के अधिकार के दायरे मे मानता है तो फिर राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार से आपत्ति क्यूँ?

क्या कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005?

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(क)(2) एवं 2(घ)(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्थापित,गठित उसके स्वामित्वाधीन,नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है|

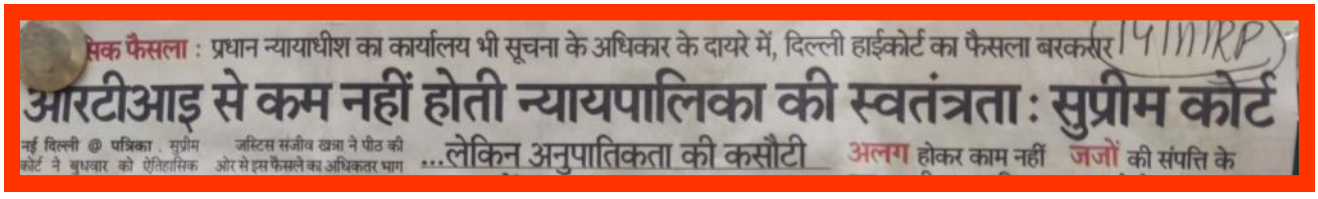
ऐतिहासिक फैसला : प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के दायरे में, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

आरटीआइ से कम नहीं होती न्यायपालिका की स्वतंत्रता : सुप्रीम कोर्ट

...लेकिन अनुपातिकता की कसौटी